

196/15 87047

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयलस जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>17 पत्रावली पेश हुई, अभिवाचकगण द्वारा न्यायिक कार्य में बाधित करने के लिये पत्रावली दिनांक 11-4-18 को पेश हो।</p>	
<p>1/18 पत्रावली पेश हुई, तक्रूलाय फरिदकेन उपस्थित। T.D.R साक्षर से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, पुनः लिखा जावे। वास्ते मौका रिपोर्ट व सिपश्रीगण के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 8-3-18 को पेश हो।</p>	
<p>3/18 पत्रावली पेश हुई, तक्रूलाय फरिदकेन उपस्थित। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वास्ते जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 12-4-18 को पेश हो।</p>	
<p>12/18 उभय पक्ष उपस्थित पीलासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। शककाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26-4-18 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>20/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प मोडल में पेश हुई प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A के तहत प्रस्तुत कर अपनी स्वतन्त्र आराजी नं. 5224, 5225 कुल किता 02 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि जो ग्राम मांडल में स्थित है। जिस पर कृषि कार्य के लिए आने जाने के लिए आराजी नं. 5238 की पश्चिमी सीमा में से 15 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकार्ड में इन्टरज कराये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट</p>	<p>मोलासिंह</p>
<p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला पीलावाड़ा</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी है


ली गई, कि खातेदार मोलाबक्ष पुत्र वजीर मोहम्मद
शेरव ग्राम माण्डल की आ. नं. 5224 में आने
जाने के लिए आ. नं. 5238 की पश्चिमी मेड की
मेड पर आते जाते थे। पूर्व में उपरोक्त सभी आराजियात
शामलाती खाते में थी। वर्तमान में आ. नं. 5238 के
खातेदारों ने रास्ते को बन्द कर दिया जिससे प्राचीन
खातेदारों को आ. नं. 5224 में आने जाने में परेशानी
हो रही है। प्राचीन खातेदार आ. नं. 5224 में पहुंचने
आवागमन हेतु आ. नं. 5238 रकबा 1.15 बीघा
की पश्चिमी मेड के सहारे 15 फिट चौड़ाई (लगभग
2 गज) में रास्ता चलाता है जिसका क्षेत्रफल 0.04
बिस्वा बनता है।

∴ आदेश ∴

प्राचीन के प्राचीन पत्र एवं तहसीलदार मांडल की
रिपोर्ट तथा पगावली में उपलब्ध दस्तावेजों पर
अध्ययन कर मन्व किया गया। प्राचीन की ग्राम
मांडल में स्थित आराजी नं. 5224, 5225 पर
आने जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में
दर्ज नहीं है। पड़ोसी खातेदार की आराजी नं.
5238 रकबा 0.15 बीघा 15 बिस्वा के पश्चिमी
मेड से आने जाने की तहसीलदार मांडल ने
ताहीद की है इसके अलावा कोई अन्य रास्ता
उपलब्ध नहीं है।

अतः तहसीलदार मांडल को आदेशित किया जाता
है कि ग्राम मांडल के आराजी नं. 5238 में से
1 गज चौड़ा रास्ता पश्चिमी मेड के सहारे सहारे
राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे साथ ही
प्राचीन मोलाबक्ष पिता वजीर मोहम्मद शेरव (छ्प्रीदार)
जिवासी मांडल तहसील मांडल से वर्तमान में
प्रचलित डी एल सी. दर की राशि दुगुनी राशि

उपखण्ड अधिकारी
मांडल मिला बीसवाड़ा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीत में जारी हुए
<p>वसूल की जाकर ग्राम मांडल के आराजी नं. 5238 के मूल खतेदार को भुगतान किया जाये एवं रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का राजस्व नकशे में तरमीम की जावे। पगावली फैसल शुमर होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मंडल मिला केतवाड़ा </p>	